



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 212 राँची, सोमवार,

10 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

23 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-82/2015-19756 (HRMS)--श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-741/03, गृह जिला- देवघर), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, मेदिनीनगर के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा०, दिनांक-16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-855/स्था०, दिनांक-30.10.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-‘क’ में श्री दास के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. कठौतिया कोल माईन्स के अन्तर्गत 82.76 एकड़ भूमि जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे० उषा मार्टिन, प्रा०लि० को कोयला उत्खन्न के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध था ।

2. अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही था। खेसरा पंजी एवं चेक स्लीप के अवलोकन से पता चलता है कि जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है ।

3. श्री एन०के० मिश्रा, तत्कालीन आयुक्त पलामू प्रमण्डल के पत्रांक 10 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा भी कठौतिया कोल माईन्स में आपके विरुद्ध बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT Act की धारा 49 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

4. खतियानों की जाँच किए बिना जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि मानकर खनन कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं था।

उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए श्री दास के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-132, दिनांक 07.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-58, दिनांक 08.03.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप सं०-1 आंशिक रूप से सही एवं आरोप सं०-2 एवं 4 को सही तथा आरोप सं०-3 को सही नहीं प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक- 5927, दिनांक 19.11.2020 द्वारा श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री दास के पत्रांक-01, दिनांक 11.01.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्री दास के विरुद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षोपरांत उनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं०-5049(hrms), दिनांक 10.05.2022 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री दास का अपील आवेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2194, दिनांक 17.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ। श्री दास द्वारा समर्पित अपील आवेदन में मुख्य रूप से कहा गया कि आरोप संख्या-01 से 04 में लगाये गये आरोप उनसे संबंधित नहीं हैं। उपायुक्त, पलामू ने मंतव्य में उल्लेख किया है कि श्री दास प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में दोषी नहीं हैं। समीक्षी पदाधिकारी ने मंतव्य दिया है कि उपायुक्त, पलामू के मंतव्य से मैं सहमत हूँ। उपायुक्त, पलामू के मंतव्य तथा समीक्षी पदाधिकारी के स्पष्ट मंतव्य के बाद भी वृहद दण्ड के तहत उनका दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है, जो उचित न्याय-निर्णय हेतु विचारणीय है। उपायुक्त, पलामू के मंतव्य/समीक्षी पदाधिकारी के निष्कर्ष एवं उनके द्वारा समर्पित अपीलीय बचाव बयान के आलोक में आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री दास द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा में पाया गया कि श्री दास द्वारा अपील आवेदन में कोई नया तथ्य नहीं रखा गया, बल्कि उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के बचाव बयान में एवं द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित किया गया है।

उनके द्वारा समर्पित अपने बचाव पक्षों में बार-बार यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा उपस्थापित अभिलेख को विश्वसनीय मानकर अग्रसारित किया गया था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि उनके द्वारा 82.76 एकड़ जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे० उषा मार्टिन, प्रा०लि० को कोयला उत्खनन के लिए आवंटित करने से पूर्व उपस्थापित अभिलेख की विधिवत जाँच की गई है। नियमतः उपस्थापित अभिलेख से संबंधित सभी कागजातों यथा खतियान एवं भू-सर्वे नक्शा

आदि की जाँच उनके द्वारा की जानी चाहिए थी। स्पष्ट है कि उनके द्वारा उक्त सरकारी भूमि के किस्म का मिलान खतियान की मूल प्रति या निर्गत सत्यापित मूल प्रति से नहीं की गई है।

समीक्षोपरांत, श्री दास द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5049(hrms), दिनांक 10.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 15.03.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री दास द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5049(hrms), दिनांक 10.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUDHIR KUMAR DAS BHR/BAS/3438	श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-741/03, गृह जिला- देवघर), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अनुमंडल, मेदिनीनगर संप्रति- अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया, चतरा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5049(hrms), दिनांक 10.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
